प्रेस नोट दिनांक 14.11.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन

- **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

- **मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत मा0 न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

जनपद चन्दौली थाना धीना के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 25.08.2019 को धारा 363,506 भादवि व ¾(2) पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अब्दुल जब्बार उर्फ जफर पुत्र मो0 सफी निवासी कुँवर बाजार थाना फूलपुर जनपद वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या-84/2019 धारा 363,506 भादवि व ¾(2) पाक्सो एक्ट थाना धीना में पंजीकृत किया गया।

श्री आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, श्री अनन्त चन्द्रशेखर (IPS) व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, स्नेहा तिवारी के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) व थाना धीना के पैरोकार का0 मनीष कुमार गुप्ता की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 14.11.2025 को मा0 न्यायाधीश श्री अनुराग शर्मा (स्पेशल जज पाक्सो जनपद चन्दौली) द्वारा पॉक्सो एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त 1.अब्दुल जब्बार उर्फ जफर पुत्र मो0 सफी निवासी कुँवर बाजार थाना फूलपुर जनपद वाराणसी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।